न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 231 / 2019 (588 / 2016, 14 / 2018)
दायर दिनांक :– 07.10.2016

अनवान

श्री रामावतार पिता लादूलाल राव नि. खजुरी तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री प्रभुलाल पिता काशीलाल राव नि. खजुरी तह. जहाजपुर
2. श्री सांवरलाल पिता मदनलाल राव नि. खजुरी तह. जहाजपुर
3. श्री सत्यनारायण पिता मदनलाल राव नि. खजुरी तह. जहाजपुर
4. श्री प्रेमशंकर पिता मदनलाल राव नि. खजुरी तह. जहाजपुर
5. श्री रामलाल पिता कन्हैयालाल राव नि. खजुरी तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अमित बिडला, एडवोकेट प्रार्थी,
2. श्री शशिकान्त पत्रिया, एडवोकेट अप्रार्थीगण

:: आदेश :: दिनांक 09.12.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम खजुरी प. ह. खजुरी तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 19 आ. चा. एवं इससे लगती हुई आराजियात प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी की आराजी मे प्रार्थी को आने जाने एवं फसल को उवेरने के लिये ग्राम खजुरी प. ह. खजुरी में स्थित आ. सं. 12 की पूर्व मेर एवं आ. सं. 18 की उत्तरी मेर तथा आ.सं. 12 की दक्षिण मेर में से होकर रास्ते की आवश्यकता हैं जिसके लिये प्रार्थी माननीय न्यायालय में यह आवेदन पेश किया हैं प्रार्थी एवं इनके पुर्वज अपने खेतो में चाहे जा रहे रास्तो में से ही आते जाते रहे हैं। तथा इस संबध मे प्रार्थी के पूर्वजो के द्वारा रास्ते हेतु सिविल न्यायालय में भी वाद पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पुर्व के वाद को स्वीकार करते हुये रास्ते में किसी प्रकार की कोई बाधा नही करने बाबत पाबन्द किया गया। परन्तु रास्ते राजस्व अभिलेखो में दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त चाहे गये। रास्ते को बन्द करने पर आमादा है। उस आम रास्ते से प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु स्थित रास्ते से होता हुआ हैं। प्रार्थी इस रास्ते का उपयोग व उपभोग कई वर्षो से निरन्तर व निर्बाध

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

रूप से कर रहे हैं। प्रार्थी को उसके खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी स. 19 रकबा 3 बिस्वा गे मु आ चा एवं इसके पास स्थित अन्य आराजियात आ. सं. 25, 27, 199, 200, 206, 207, 1396 किता 7 रकबा 6.14 बीघा में आने जाने एवं फसल अवेरने सवेरने के लिये मौके पर मौजुद एकमात्र रास्ता जो कि अप्रार्थी सं. 5 के खेतो एव कब्जे काश्त की आराजियात आ. सं. 12 की पूर्व एवं दक्षिणी मेड पर एव अप्रार्थी सं. 1 से 4 के खाते की आराजियात आराजी खं सं 18 रकबा 17 बिस्वा उत्तरी मेड से होकर निकल रहा है। एवं जो कि लगभग 10–12 फिट चौडा हैं को अप्रार्थीगण ने अवरूद्व कर दिया है उसे अप्रार्थीगण के खर्चे पर पुन खुलासा कराया जाकर उसका तरमीम राजस्व नक्शे में किये जाने के आदेश अप्रार्थी सं. 6 को दिलाये जाने के आदेश प्रदान फरमावे। अप्रार्थीगण के हिस्से से रास्ते में जाने वाले रकबे का प्रार्थीगण अनुसार राजस्व दर से राशि अदा करने को तैयार एवं तत्पर हैं। साथ ही आराजी सं. 18 में अप्रार्थी सं. 1 का 3/4 हक एवं हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा 1/4 हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के पिता मदनलाल के नाम पर अंकित है श्री मदनलाल जी का देहावसान हो जाने के कारण उनके पुत्रउो को प्रकरण मं मदनलाल के बजाय बतौर अप्रार्थी के पक्षकार बनाया हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर पैरा में वर्णित रास्ते अनुसार मौके पर 10 फीट चौडा रास्ता देने व उक्त रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुये। जिसे शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थीगण की और से श्री शशिकान्त पत्रिया, एडवोकेट का अधिकारी पत्र प्रस्तुत हुआ। जिसे शामिल फाईल किया गया।

प्रार्थी की आराजी न. 19, 25, 27, 199, 200, 206, 207, 1396 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2019/1067 दिनांक 02.09.2019 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिसमें कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खजुरी प. ह. खजुरी तहसील जहाजपुर की आ.न. 19, 25, 27, 199, 200, 206, 207, 1396 में आने जाने के लिये 10 फिट चौडा रास्ता आ. न. 18, 12 के मध्य रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 18 में से रकबा 0.01 बीघा, आ.न. 12 में से रकबा 0.02 बीघा भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खेत से लगती हुई आराजी से रास्ते में 0.03 बीघा भुमि जावेगी। उतनी ही भूमि यानि 0.03 बीघा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। एवं रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

C:nirnay//rider

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 12:32:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: